पत्रांक 15/एम1–42/2014 – 700

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

श्री मिल्ली गोयल,

अध्यक्ष,

Layman Education Society, G.I.- 12, G.T. Karnal Road, Azadpur, Delhi-110033

पटना, दिनांक 31/3 /2015

विषयः– बिहार राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु समर्पित परियोजना प्रतिवेदन के अस्वीकृति संसूचन के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि प्रायोजक निकाय "Layman Education Society" द्वारा बिहार राज्य में निजी क्षेत्र में महात्मा गाँधी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उक्त प्रस्ताव पर विचारण हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 678 दिनांक 27.03.2014 द्वारा एक त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन की समीक्षा की गई है। समिति के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित प्रस्ताव बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 9 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय नियमावली, 2013 की कंडिका 3 (1) में उल्लेखित आवश्यक एवं वांछनीय शर्त्तों के अनुकूल नहीं है। तदोपरांत विभागीय पत्रांक 2455 दिनांक 24.12.2014 द्वारा आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निदेशित किया गया। उक्त विभागीय पत्र के आलोक में आपके द्वारा जो स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन समर्पित किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि संस्था के पास निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः समीक्षोपरांत आपके प्रस्ताव को बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 9 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय नियमावली की कंडिका 3 (1) में उल्लेखित आवश्यक एवं वांछनीय शर्त्तों के अनुकूल नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया जाता है। भविष्य में भूमि की उपलब्धता की स्थिति में संस्था पुनः आवेदन समर्पित कर सकता है।

विश्वासभाजन,

31/3/15

सरकार के संयुक्त सचिव

31/3

hindi letter 2015